भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2143

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए मेडिकल कॉलेजों की प्रगति

2143. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

श्री दिनेश चंद्र यादवः

श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर के प्रत्येक जिले में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत, निर्माणाधीन और कार्यशील मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार संपूर्ण बिहार में स्थापित किए जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की स्थान-वार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त सभी मेडिकल कॉलेजों पर अब तक उपयोग की गई/व्यय की गई कुल धनराशि का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त सभी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण या उनकी स्थापना से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना' हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन करता है जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई सरकारी अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यय वहन का अनुपात पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में तीन चरणों में कुल 157 चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें बिहार राज्य के पूर्णिया, सारण (छपरा), समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर तथा जमुई में 08 चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं, जिनकी कुल स्वीकृत लागत ₹1,628 करोड़ है। केंद्र सरकार के अंश के रूप में ₹1,090.20 करोड़ की संपूर्ण राशि राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है। इस योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा वर्ष 2027-28 तक है। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों की योजना बनाना, निर्माण कार्य निष्पादित करना तथा उन्हें कार्यशील करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
